6.4.23 प्रथम पक्ष कब्जाधारी हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम/द्वितीय पक्ष की ओर से जवाब दाखिल।

पुनः आगत बाद अंचल अधिकारी बगोदर के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। अंचल अधिकारी, बगोदर के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-बेको, थाना- बगोदर में स्थित खाता-239, प्लाट-1146 रकबा-1 एकड़ में और मजरूआ खास खतियान में किस्म जंगल है। उक्त जमीन

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष को निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 1971 में प्राप्त है। द्वितीय पक्ष के पिता फेकु महतो द्वारा 0.36 0.81 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष के रोनी देवी को निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से बेच दिया। इस लेन देने के पश्चात प्रथम पक्ष के पास कुल 0.81 एकड़ भूमि हो गई। द्वितीय पक्ष के द्वारा भूदान पर्चा से वर्ष 1971 में प्रश्नागत भूमि हासिल किया गया है जिसके समर्थन में भूदान पर्चा की Duplicate copy की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं दस्तावेजों को के अवलोकन से स्पष्ट है (i) कि प्रश्नागत भूमि और मजरूआ खास, किस्म जंगल की भूमि है, जिसकी जमाबंदी कैसे कायम हुई का उल्लेख	

...की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रमाण प्रथम पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है। (ii) द्वितीय पक्ष भूदान-पर्चा के द्वारा भूमि का हासिल होना बताते हैं। भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजस्व पदाधिकारी के द्वारा दान की स्वीकृति एवं नामांतरण का प्रमाण द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। (iii) यदि द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भूमि भूदान से हासिल है तो उसकी खरीद-बिक्री कैसे हुई? (iv) भूदान से प्राप्त भूमि पर अधिकतम तीन वर्षों के अंदर अनिवार्य रूप खेती का कार्य किया जाना है, जबकि यह दावा कई वर्षों के बाद किया जा रहा है तथा विवाद किया जा रहा है। (v) द्वितीय पक्ष के द्वारा भुटो महतो के नाम से निर्गत रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है, परन्तु उनका भुटो महतो से क्या सम्बन्ध है, स्पष्ट नहीं	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	किया गया है। उक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष के बीच स्वत्व एवं दखल-कब्जा का विवाद है जिसके निपटारे के लिये सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश उभय पक्षों को दिया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 6/4/23 SDM.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.04.27 16:16:02 +05:30
Location: 192.168.1.6